न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर०ए०एस०
वाद सं० 71/15
निर्णय दिनांक: 22.06.2018

1. रामोतार पुत्र स्व० प्रेमचन्द नि० शार्दुलपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०
2. रमेश पुत्र स्व० प्रेमचन्द नि० शार्दुलपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र लादूराम
2. मोहन पुत्र लादूराम
3. कैलाश पुत्र लादूराम
4. सीताराम पुत्र लादूराम
5. मुकेश पुत्र लादूराम
6. रूपनारायण पुत्र गंगाराम
7. गोवर्धन पुत्र गंगाराम
8. हनुमान पुत्र बंशी
9. लक्ष्मण पुत्र बंशी
   समस्त नि० शार्दुलपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० सांभरलेक जिला जयपुर राज०

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि आराजी कृषि भूमि ख०नं० 50 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, ख०नं० 112 रकबा 2 बीघा, ख०नं० 113 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, ख०नं० 114 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, ख०नं० 115 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा, ख०नं० 125 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, ख०नं० 126 रकबा 8 विस्वा, ख०नं० 127 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख०नं० 128 रकबा 3 विस्वा किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम शार्दुलपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा० 9 के पडदादा स्व० श्री किशनलाल जी के पूर्व से ही बोते जोतते आ रहे है तथा वादीगण ही लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीगण मन्दिर श्री रघुनाथजी विराजमान वाकै ग्राम शार्दुलपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर के सेवायत पुजारी है इससे पूर्व वादीगण के दादा श्री लादूराम

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner